# <u>मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी</u>

**एम.ए.सी.पी. संख्या– 445/2015,**

अरूनव दत्ता बनाम ~~मैसर्स मीनाक्षी मेटल इन्डस्ट्रीज~~ आशुतोष बाजपेयी आदि

**<u>16.06.2020</u>**

पत्रावली पेश हुयी। याची के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार मिश्रा उपस्थित।

याची व विपक्षी सं. 2 इफ्को टोकियो ज. इं. कं. लि. के मध्य हुआ सुलहनामा 63B पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग 7,40,000/– रूपये याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी।

63B सुलहनामा विगत नियत तिथि पर उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा 63B की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा 63B में दर्शित कुल मुबलिग 7,40,000/– रूपये प्रतिकर के रूप में लेने हेतु तैयार है, जिसे विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी याची को देने हेतु सहमत हैं। अतः याचिका सुलहनामा 63B के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

याची की याचिका सुलहनामा 63B के अनुसार निर्णीत की जाती है। विपक्षी सं. 2 इफ्को टोकियो ज. इं.कं.लि. को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिकर की धनराशि मुबलिग 7,40,000/– (सात लाख चालीस हजार) 30 दिन के अन्दर न्यायाधिकरण में जमा करें। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से 80 प्रतिशत भाग अर्थात मुब. 5,55,000/–(पांच लाख पचपन हजार) याची अरूनव दत्ता के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिये जमा किया जाएगा तथा उक्त प्रतिकर की शेष 25 प्रतिशत धनराशि यानि 1,85,000/–(एक लाख पचासी हजार) याची अरूनव दत्ता को आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद देय होगी । सुलहनामा 63B इस आदेश का भाग रहेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.,एम.ए.सी.टी.,झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.16 19:27:08 UTC
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI